[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
संख्या 25/2024-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. .....(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 868(अ) दिनांक 13 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 50/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) प्रविष्टि (ग) के पश्चात् और प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी,-

"(घ) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो अन्य किसी पंजीकृत व्यक्ति से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अन्तर्गत आने वाले, धातु स्क्रैप की आपूर्ति प्राप्त करता है";

ii) तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, -

"परंतु कि इस अधिसूचना में कोई भी बात, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अंतर्गत, इस अधिसूचना के खंड (घ) को छोड़कर, निर्दिष्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगी।

[फा.सं सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

(अमृता टाइटस)

उपसचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्यांक 50/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 13 सितम्बर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 868 (अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन संख्यांक सा.का.नि. 1250 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 73/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 से किया गया ।